

(अ) लाटरी ड्रा द्वारा सामान्य मूल्यांकन पर आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण					
भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल व.मी.	अनुमानित मूल्य (लाख में) प्र.व.मी.	बयाना धनराशि/ टोकन नमी (लाख में)	
वैद्यवे योजना सी.बी. गंज, बरेली					
बैन्वे भवन-5 नगर (59,130,140,180,182) समस्त भवन ओ.बी.सी.) (निरस्तरीकरण से प्राप्त) (डूडा कार्यालय बरेली से प्राप्त लाभार्थियों की सूची के आधार पर ही बैन्वे भवनों का आवंटन किया जायेगा)	05	25.00	0.20 प्रति नग	0.05	
(स) नीलामी द्वारा निस्तासित की जाने वाली अनावासीय सम्पत्तियों का विवरण					
राजेन्द्र नगर यो. सं-02 बरेली					
हाल्स द्वितीय तल एस.एफ.एच.-3	01	77.55	42.15	4.22	
दुकान (ई ब्लॉक)-11	01	16.00	10.51	1.10	
दुकान (ई ब्लॉक)-12	01	39.954	25.74	2.60	
टैगोर नगर योजना, पीलीभीत					
क्योरक भूखण्ड-के-02 (अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित)	01	4.00	0.68	0.07	
बरेली मोड़ योजना सं.-03 शाहजहाँपुर					
व्यवसायिक भूखण्ड					
01 / कॉम-1 (कार्नर)	01	1225.00	19712 प्र.व.मी	24.15	
01 / कॉम-7 (कार्नर)	01	501.93	19712 प्र.व.मी	9.90	
01 / कॉम-8	01	509.00	17920 प्र.व.मी	9.12	
01 / कॉम-9	01	341.56	17920 प्र.व.मी	6.12	
01 / कॉम-10	01	338.22	17920 प्र.व.मी	6.06	
01 / कॉम-11	01	334.80	17920 प्र.व.मी	6.00	
01 / कॉम-12	01	331.39	17920 प्र.व.मी	5.94	
02 / कॉम-12 / 1 (कार्नर)	01	642.19	19712 प्र.व.मी	12.66	
02 / कॉम-15	01	632.32	17920 प्र.व.मी	11.33	
02 / कॉम-16	01	616.31	17920 प्र.व.मी	11.05	
02 / कॉम-17	01	600.30	17920 प्र.व.मी	10.76	
02 / कॉम-18	01	584.29	17920 प्र.व.मी	10.47	
02 / कॉम-19	01	568.78	17920 प्र.व.मी	10.19	
02 / कॉम-20	01	553.27	17920 प्र.व.मी	9.92	
02 / कॉम-21	01	537.27	17920 प्र.व.मी	9.63	
02 / कॉम-22 (कार्नर)	01	538.98	19712 प्र.व.मी	10.63	
03 / कॉम-5 (कार्नर)	01	1319.62	19712 प्र.व.मी	26.01	
03 / कॉम-6 (कार्नर)	01	1608.75	19712 प्र.व.मी	31.71	
03 / कॉम-11	01	587.00	17920 प्र.व.मी	10.52	
03 / कॉम-12	01	587.00	17920 प्र.व.मी	10.52	
03 / कॉम-13 (कार्नर)	01	465.02	19712 प्र.व.मी	9.17	
कम्युनिटी सेक्टर-सी.सी.5 / 1 (कार्नर) लीज पर	01	4352.25	9680 प्र.व.मी.	42.13	
सी.एसी.सी.-1 / 01 (कार्नर)	01	973.75	19712 प्र.व.मी	19.20	
सी.एसी.सी.-2 / 01 (कार्नर)	01	1248.44	19712 प्र.व.मी	24.61	
सी.एसी.सी.-2 / 02 (कार्नर)	01	1151.00	19712 प्र.व.मी	22.69	
सी.एसी.सी.-2 / 03 (कार्नर)	01	1470.44	19712 प्र.व.मी	28.98	
सी.एसी.सी.-2 / 04 (कार्नर)	01	1540.00	19712 प्र.व.मी	30.36	
सी.एसी.सी.-3 / 01 (कार्नर)	01	792.44	19712 प्र.व.मी	15.61	
सी.एसी.सी.-3 / 02 (कार्नर)	01	1126.45	19712 प्र.व.मी	22.21	
सी.एसी.सी.-4 / 01 (कार्नर)	01	1764.00	19712 प्र.व.मी	34.77	
(अ) लाटरी ड्रा द्वारा सामान्य मूल्यांकन पर आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण					
मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद					
भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल व.मी.	अनुमानित मूल्य (लाख में) प्र.व.मी.	बयाना धनराशि/ टोकन नमी (लाख में)	
आवासीय भूखण्ड (40 से 50 व.मी तक)	01	43.65 व.मी	16800 प्र.व.मी.	0.35	
अनारक्षित-11 / 254					
अनारक्षित-11 / 259	01	44.01 व.मी	16800 प्र.व.मी.	0.35	
(ब) नीलामी द्वारा निस्तासित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण					
मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद					
आवासीय भूखण्ड 81 से 170 वर्ग मीटर तक					
अन्य पिछड़ा वर्ग 11 / 460	01	81.00 व.मी.	16800 प्र.व.मी.	0.68	
अनारक्षित 12 / 363	01	148.50 व.मी.	16800 प्र.व.मी.	1.25	
लाजपत नगर योजना, मुरादाबाद					
आवासीय भूखण्ड (80 व.मी. से बड़े)					
अनारक्षित-डी / 105	01	104.00 कार्नर	27105.00 प्र.व.मी.	1.41	
जिगर विहार योजना, मुरादाबाद					
आवासीय भूखण्ड (171 व.मी. से बड़े)					
अनारक्षित-ए / 479	01	277.93	22400.00 प्र.व.मी.	3.12	
अनारक्षित-ए / 481	01	250.50	22400.00 प्र.व.मी.	2.81	
अनारक्षित-ए / 482	01	259.00	22400.00 प्र.व.मी.	2.90	
अनारक्षित-ए / 483	01	266.50	22400.00 प्र.व.मी.	3.00	
अनारक्षित-ए / 484	01	277.00	22400.00 प्र.व.मी.	3.11	
अनारक्षित-ए / 485	01	290.00	22400.00 प्र.व.मी.	3.25	
अनारक्षित-ए / 486	01	321.86 कार्नर	24640.00 प्र.व.मी.	3.97	
नोट :- बरेली मोड़ यो. सं.-3 शाहजहाँपुर में 02 नगर फेसिलिटी भूखण्ड उपलब्ध है। उपरोक्त स्कूल भूखण्डों हेतु रु. 10 000/- कार्यालय में नगद जमा कर स्कूल भूखण्ड हेतु आवेदन पुरितका प्राप्त कर उसे पूर्ण कर व आधारक प्रपत्र संलग्न कर निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा करना होगा, प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं शॉर्ट लिस्टिंग के उपरान्त वैध / पात्र आवेदक संस्थाओं को आगामी निर्धारित तिथि पर नीलामी में भाग लेना होगा, प्राप्त बोली पर परिसद मुख्यालय द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। नीलामी में प्रतिनिधि के रूप में सम्पत्ति पर बोली बोलने का अधिकार तभी मान्य होगा जब अधिकार पत्र / पॉवर ऑफ एटॉर्नी नोटरी द्वारा सत्यापित हो। सम्पत्तियों के पुर्नजीवन / निरस्तरीकरण / कोर्ट केस के स्थगन व अन्य कारणों से सम्पत्तियों की संख्या में घट बढ़ हो सकती है। आवंटन / नीलामी के माध्यम से निस्तासित होने वाली आवासीय सम्पत्तियों पर सम्पत्ति के मूल्य का 0.5 प्रतिशत तथा युग हाउसिंग भूखण्डों / प्रीमियम हाउसिंग भूखण्डों एवं अनावासीय सम्पत्तियों के मूल्य का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर जो “उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद” के नाम तथा संबंधित नगर पर देय हो। आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर बैंक ड्राफ्ट एवं आवश्यक शपथ पत्र सहित आवंटन की तिथि से दो दिन पूर्व तथा नीलामी हेतु सीलड बिड नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक संबंधित स्थानीय कार्यालय में दी जा सकती है तथा खुली बोली हेतु नीलामी फार्म जमा करके टोकन एक दिन पूर्व भी संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। बैंक / नकद स्वीकार नहीं होगा। जिन सम्पत्तियों को ऑफर हुए वो वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं तथा उन्हें नीलामी में कम से कम तीन बार शामिल न किया गया हो, ऐसे मामलों में एकल बोली या ऑफर (बिड) सहम स्तर से ही निरस्त कर दी जायेगी। सम्पत्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय / परिषद की वेबसाइट से की जा सकती है।					
आवास आयुक्त					
परिषद से सम्बन्धित समस्या हमसे करें					
जन सुविधा केन्द्र					
परिषद से समस्या के निराकरण हेतु डायल करें					
1800-180-5333 (टोल फ्री) 0522-2236803					
(स) नीलामी द्वारा निस्तासित की जाने वाली अनावासीय सम्पत्तियों का विवरण					
जिगर विहार योजना, मुरादाबाद					
भवन/भूखण्डों का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या	क्षेत्रफल व.मी.	अनुमानित मूल्य (लाख में) प्र.व.मी.	बयाना धनराशि/ टोकन नमी (लाख में)	एफ.ए. आर.
कम्युनिटी सेक्टर भूखण्ड-सीसी-1 (लीज पर)	01	1481.82	22000.00 प्र.व.मी.	32.60	1.5
बौद्ध विहार योजना, मुरादाबाद					
व्यवसायिक भूखण्ड 4ए-कॉम-सी.पी.-01 (कार्नर)	01	421.54	43120.00 प्र.व.मी.	18.18	1.2
मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद					
प्रीमियम हाउसिंग भूखण्ड					
अनारक्षित-पीएच / 5 / 6	01	1126.68	27390.00	30.86	
अनारक्षित-पीएच / 5 / 7	01	530.01 कार्नर	30130.00 प्र.व.मी.	15.97	
अनारक्षित-पीएच / 5 / 8	01	378.00	27390.00	10.36	
अनारक्षित-पीएच / 5 / 9	01	378.00	27390.00	10.36	
अनारक्षित-पीएच / 5 / 10	01	378.00	27390.00	10.36	
अनारक्षित-पीएच / 5 / 11	01	378.00	27390.00	10.36	
अनारक्षित-पीएच / 5 / 12	01	378.00	27390.00	10.36	
अनारक्षित-पीएच / 5 / 12 ए	01	378.00	27390.00	10.36	
अनारक्षित-पीएच / 5 / 14	01	387.45	27390.00	10.62	
व्यवसायिक भूखण्ड					
अनारक्षित-7 ए / सीपी-1 / 01	01	442.54	36960.00 प्र.व.मी.	16.36	
अनारक्षित-7 ए / सीपी-1 / 03	01	357.28	33600.00 प्र.व.मी.	12.00	
अनारक्षित-7 ए / सीपी-1 / 04	01	357.28	33600.00 प्र.व.मी.	12.00	
अनारक्षित-7 ए / सीपी-1 / 05	01	442.54 कार्नर	36960.00 प्र.व.मी.	16.36	
सेक्टरियल कन्वीनेमेंट शॉपिंग भूखण्ड					
अनारक्षित-सीएस-7बी-02	01	666.81 कार्नर	36960.00 प्र.व.मी.	24.65	1.2
लाजपत नगर योजना, मुरादाबाद-दुकानें					
एस-71	01	17.49	10.42	1.04	
एस-72, 73	02	16.89	8.65	0.87	
एस-81,82,83,84	04	16.52	8.47	0.85	
एस.एफ.-71	01	16.07	8.42	0.84	
एस.एफ.-60	01	13.38	7.01	0.70	
एस.एफ.-62, एस.एफ.-96	02	7.73	4.05	0.41	
एस.एफ.-81	01	3.99	2.09	0.21	
एस.एफ.-82	01	3.77	1.98	0.20	
सम्भल गेट योजना सं. 1, चन्दौसी					
कम्युनिटी सेक्टर भूखण्ड सी.सी.-01 (लीज पर)	01	1371.77 कार्नर	10230.00 प्र.व.मी.	14.04	एफ.ए. आर. 1.00
स्कूल भूखण्ड					
सेक्टर/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.मी. में	भूमि दस-लीजरेन्ट-कार्नर शुल्क (कार्नर की स्थिति में) प्र.व.मी.	भूखण्ड का मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)	
मझोला योजना संख्या-4, भाग-2, मुरादाबाद					
SCH-7C/01	1691.25 कार्नर	18150.00 प्र.व.मी.	306.97	30.70	
सम्भल गेट योजना संख्या-1, चन्दौसी-स्कूल भूखण्ड					
SCH-P1	3917.59 कार्नर	11253.00 प्र.व.मी.	440.85	44.09	
योजना संख्या-2, अमरोहा-स्कूल भूखण्ड					
SCH-P1	1385.00	10450.00 प्र.व.मी.	144.74	14.48	
जिगर विहार योजना, मुरादाबाद, स्कूल भूखण्ड					
SCH-01	1998.92 कार्नर	24200.00 प्र.व.मी.	483.74	48.38	
टैगोर नगर योजना, पीलीभीत					
SCH-B/01	1020.43 कार्नर	9075.00 प्र.व.मी.	92.61	9.27	

सम्पत्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

शर्त (कन्डीशनल) एवं अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे, तथ्यों को छिपाकर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर दी जायेगी। नीलामी के माध्यम से आवंटित सम्पत्तियों को आवेदकों द्वारा न लिये जाने की स्थिति में उनके द्वारा जमा सम्पूर्ण टोकन धनराशि जब्त कर दी जायेगी। आवंटन हेतु आवेदन फार्म कार्यालय से निर्गत किए जायेंगे। आवेदन फार्म जमा करने से पूर्व फार्म का कार्यालय से परीक्षण कराया जा सकता है।

शासनादेश के अन्तर्गत जी.एस.टी. की जो भी दर/जिस तिथि से निर्धारित होगी, उसका भुगतान तदानुसार अलग से करना होगा।

नोट : मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. नं. 2742/2017 अर्जुन कुमार अग्रवाल बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.10.2017 के अनुपालन में आवास आयुक्त महोदय के आदेशान्तर्गत मझोला योजना संख्या -4, भाग-2 (विस्तार) में श्री अर्जुन कुमार अग्रवाल को दिए जाने वाले भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा।